

आदेश ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 62/2022 (धारा 14 सिक्थोरिटाईजेशन)


श्रीराम हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड) पता- प्लॉट नं. 245 व 246, द्वितीय तल, ओमकारम टॉवर, हनुमान नगर-डी, आमपाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर, राज.।

प्राथी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्रीमती सोनिया सिंह पत्नी श्री विजेन्द्र सिंह,
2. श्री विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री जिले सिंह  
पता :- प्लॉट नं. 57, पोल्ड्री फार्म, वार्ड नं. 34, आगरा रोड, जयपुर, राज.।  
एवं प्लॉट नं. 24, सर्वोदय कॉलोनी, जामडोली, आगरा रोड, जयपुर, राज.।

अप्रार्थीगण  
ऋणी एवं गारन्टर




The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

1. श्री विनोद खाण्डल अधिवक्ता प्राथी वित्तीय संस्था की ओर से।


आदेश

दिनांक 29.03.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्राथी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 14.01.2016 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री सोनिया सिंह के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 24, सर्वोदय कॉलोनी, जामडोली आगरा रोड, जयपुर, राज. पर स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 93.75 वर्गगज है, को बन्धक रख कर 15,99,441/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्राथी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 21.08.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्राथी वित्तीय बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 2 स्वयं उपस्थित। जवाब बहस हेतु अवसर चाहा।
3. प्राथी बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भली भौति अवलोकन किया गया।
4. प्राथी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 का सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान बैंक के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

5. सरफेशी एक्ट की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का 30 दिवस या अधिकतम 60 दिवस में निस्तारण किये जाने का प्रावधान है। अप्रार्थी को पूर्व में समय दिया जा चुका है। इसलिए अधिक समय नहीं दिया जा सकता है।
6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 15,99,441/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 16,47,110/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 21.08.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
7. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री सोनिया सिंह के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 24, सर्वोदय कॉलोनी, जामडोली आगरा रोड, जयपुर, राज. पर स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 93.75 वर्गगज है का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
8. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल हो।
9. आदेश आज दिनांक 29.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।



(राजम विशाखा)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर